सहमति–पत्र (MOU)

उ. प्र. के कारागारों में विश्वविद्यालय के विशेष अध्ययन केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु सहमति–पत्र

- उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, शान्तिपुरम् सेक्टर–एफ फाफामऊ, प्रयागराज – **प्रथम पक्ष**
- आई0 जी0/डी0जी0, मुख्य कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0 प्र0, आलमबाग, लखनऊ –**द्वितीय पक्ष**

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज अपने शैक्षिक दायित्वों के साथ–साथ सामाजिक दायित्वों के प्रति भी जागरूक है। उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल/कुलाधिपति महोदया शैक्षिक संस्थाओ को सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करने के लिये प्रेरित करती रही हैं। अतः माननीय कुलाधिपति जी की अपेक्षा के अनुक्रम में विश्वविद्यालय ने प्रदेश के कारागारों एवं प्रदेश की सीमा के अन्दर स्थित केन्द्रीय कारागारों में अपना विशेष अध्ययन केन्द्र स्थापित करनें तथा उनमें बन्द सजायफ्ता कैदियों को विश्वविद्यालय के शैक्षिक कार्यक्रमों (प्रयोगात्मक कार्यक्रम को छोडकर) में प्रवेश लेने पर शुल्क में 100 प्रतिशत छूट प्रदान करनें का निर्णय किया है।

इस सन्दर्भ में उक्त दोनो पक्षो के बीच सहमति पत्र के मुख्य बिन्दु निम्नवत है–

1. विश्वविद्यालय प्रदेश के प्रत्येक जिले में अवस्थित कारागारों में सजायफ्ता कैदियों के लिए अपना एक **विशेष अध्ययन केन्द्र** स्थापित करेगा, जिसका संचालन उस क्षेत्र में कार्यरत क्षेत्रीय केंद्र के माध्यम से किया जाएगा।
2. कारागार प्रशासन अध्ययन–अध्यापन तथा अन्य व्यवस्थाओं के सुव्यवस्थित, सुसंगठित तथा समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु ऐसे प्रत्येक अध्ययन केंद्र पर एक नोडल अधिकारी /समन्वयक मनोनीत करेगा जो सहायक अधीक्षक या समकक्ष स्तर से निम्नतम श्रेणी का नही होगा। उक्त नियुक्ति का अनुमोदन मा. कुलपति जी से कराना अनिवार्य होगा।
3. प्रवेश सत्र प्रारंभ होने से पूर्व ऐसे प्रत्येक अध्ययन केन्द्र के नोडल अधिकारी अपने यहां से शिक्षा ग्रहण करने के इच्छुक शिक्षार्थियों के साथ विश्वविद्यालय की सहमति से "प्रवेश पूर्व परामर्श सत्र" का आयोजन कराने की व्यवस्था करेंगे।
4. प्रत्येक नोडल अधिकारी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अधिकारियों/कर्मचारियों के समन्वय से अध्ययन अध्यापन की गतिविधियों का सुव्यवस्थित रुप से संचालन कराने की व्यवस्था करेंगे।
5. प्रत्येक जिले में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अध्ययन/क्षेत्रीय केंद्र से प्रवेश लेने वाले शिक्षार्थियो हेतु अध्ययन सामग्री मंगवाने और उसे सम्बंधित शिक्षार्थियों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था नोडल अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
6. विश्वविद्यालय के जिन कार्यक्रमों (कोर्सेज) में अधिन्यास लिखकर जमा करने की व्यवस्था है, नोडल अधिकारी उन कार्यक्रमों से संबंधित अधिन्यास प्रश्न–पत्र विश्वविद्यालय वेबसाइट से प्राप्त कर उसे सम्बंधित शिक्षार्थियों को उपलब्ध कराने एवं उन्हे लिखने हेतु निर्धारित पुस्तिका आदि प्राप्त करनें में सहायोग करेंगें। साथ ही लिखी हुई अधिन्यास पुस्तिकायें सम्बंधित क्षेत्रीय केन्द्र पर जमा कराने की व्यवस्था भी करेंगें।

7. परीक्षा के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा परिक्षार्थियों हेतु निर्धारित परीक्षा केंद्र जो किसी कारागार परिसर में ही होगा, तक शिक्षार्थियों को सम्मिलित होने की व्यवस्था, नोडल अधिकारी द्वारा की जायेगी।
8. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा केन्द्र में परीक्षा संपन्न कराने का संपूर्ण उत्तरदायित्व कारागार प्रशासन का होगा। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित माध्यमों से प्रश्न पत्र तथा अंकतालिकाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी तथा परीक्षा संबंधित समस्त प्रक्रियाओं से नोडल अधिकारी को समय-समय पर अवगत कराते रहा जाएगा।
9. परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरान्त समस्त शिक्षार्थियों को तत्कालिक रुप से समयबद्ध ढंग से विश्वविद्यालय वैबासाइट प्रोविजनल अंकतालिकाएँ मुद्रित कराकर नोडल अधिकारी द्वारा प्रदान की जाएगी। तत्पश्चात विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्धारित माध्यमों से मुद्रित अंकतालिकाएँ उपलब्ध करायी जाएंगी ।
10. परीक्षा परिणामों में किसी भी प्रकार की विसंगति उत्पन्न होने पर संबंधित नोडल अधिकारी अपने क्षेत्रीय केन्द्र के माध्यम से इसे 15 दिनों के अंदर त्रुटिरहित कराकर निर्धारित समय सीमा में सम्बन्धित को उपलब्ध करवायेगा।
11. विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में यदि कैदी शिक्षार्थी सम्मिलित होना चाहेंगे, तब उन्हें कार्यक्रम में सम्मिलित कराने का पूर्ण उत्तरदायित्व नोडल अधिकारी कारागार/प्रशासन का होगा।
12. विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न कारागार में योग प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं महिला कैदियों को शिक्षा के लिए विशेष रूप से प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों को ओयोजित करनें में सहयोग प्रदान किया जायेगा।
13. विश्वविद्यालय द्वारा यद्यपि शिक्षार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराने का प्रावधान किया गया है। परन्तु "स्व–अध्ययन सामग्री" में विश्वविद्यालय की पर्याप्त धनराशि व्यय होती है। अतः यदि सम्भव हो तो इसकी पूर्ण/आंशिक प्रतिपूर्ति सरकार के माध्यम से करायी जाने हेतु कारागार प्रशासन द्वारा प्रक्रिया स्थापित करने में सहायता प्रदान की जायेगी।
14. अन्य शैक्षणिक एवं समाजिक सुधार कार्यक्रम हेतु समय–समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम कारागार परिसर में आयोजित करने की अनुमति प्रदान की जायेगी।
15. अन्य ऐसे उपयोगी बिन्दु जिन पर कार्यवाही आवश्यक होगी, समय–समय पर दोनो पक्षो की सहमति से निर्धारित किये जायेगें।
16. उक्त हेतु विश्वविद्यालय द्वारा कारागार प्रशासन अथवा नियुक्ति नोडल अधिकारी को किसी प्रकार का भुगतान देय नही होगा।

हस्ताक्षर Arun K. Gupta 24/09/2021

नाम : (डॉ. अरुण कुमार गुप्ता)

पदनाम कुलसचिव

पता उ. प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

शान्तिपुरम् सेक्टर–एफ, फाफामऊ, प्रयागराज

प्रथम पक्ष

हस्ताक्षर 13/9/24

नाम : .....

पदनाम : (शैलेन्द्र कुमार मैत्रेय)

पता : उप महानिरीक्षक (मु०)
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

द्वितीय पक्ष